[2021] 7 एस.सी.आर. 319

भुपेश राथोड

बनाम

दयाशंकर प्रसाद चौरसिया और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1105/2021)

10 नवंबर 2021

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, अधिनियम, 1881: धारा 138,142 – अपीलार्थी - कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा धारा 138 के तहत दायर शिकायत-शिकायत के साथ संलग्न चेक के अनादर के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत करने वाला बोर्ड संकल्प - प्रत्यर्थी के बचाव कि शिकायत उचित रूप में नहीं थी क्योंकि शिकायत और संलग्न बोर्ड के प्रस्ताव से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि यह कंपनी की ओर से दायर किया गया था - अभिनिर्धारित: शिकायत के प्रारूप से यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज कराई थी - एक प्रारूप हो सकता है जिसमें पहले कंपनी के नाम का वर्णन किया जाता है, प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा किया जाता है, लेकिन केवल इसलिए एक मौलिक दोष नहीं हो सकता है क्योंकि प्रबंध निदेशक का नाम पहले कंपनी में स्थित पद के बाद बताया गया है - केवल इसलिए शिकायत को खारिज करना बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण के बारे में विस्तार से नहीं बताता है - कंपनी होने के नाते कृत्रिम व्यक्ति को एक व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से कार्य करना पड़ता था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल होते थे - केवल प्राधिकरण के अस्तित्व की पुष्टि की जा सकती है - प्रत्यर्थी ने चेक पर अपने हस्ताक्षरों पर विवाद नहीं किया है, यह उसे दिखाना था कि चेक किन परिस्थितियों में जारी किए गए थे, यानी, यह चेक उचित समय पर जारी क्यों नहीं किया गया था - किसी धोखाधड़ी या गलतबयानी की कोई दलील नहीं थी - शिकायत ठीक से स्थापित की गई थी और प्रत्यर्थी यह खुलासा करने में विफल रहा कि उसने भुगतानकर्ता, जो कि चेक का धारक है, से उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारी को उचित समय पर पूरा क्यों नहीं किया - शिकायत जुलाई, 2006 में शुरू की गई थी - शिकायत जुलाई, 2006 में स्थापित की

गई थी - दिए गए परिदृश्य में, प्रत्यर्थी को एक वर्ष की कैद और चेक की राशि का दोगुना यानी 3,20,000/- रुपये जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए - हालाँकि, समय बीतने के मद्देनजर, यदि वह अपीलकर्ता को 1,60,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है, तो सजा निलंबित कर दी जाएगी।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: : 1. प्रत्यर्थी ने चेक पर अपने हस्ताक्षरों पर विवाद नहीं किया है, यह उसे दिखाना था कि चेक किन परिस्थितियों में जारी किए गए थे, यानी, यह चेक उचित समय पर जारी क्यों नहीं किया गया था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि चेक के धारक ने किसी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त किया है। प्रत्यर्थी ने यह मामला स्थापित नहीं किया है कि लेन-देन की प्रकृति ऐसी थी जो धारा 138 के दायरे से बाहर थी। तकनीकी आपत्ति लेने के अलावा, वास्तव में मूल पहलू पर कुछ भी नहीं कहा गया था। [अनुच्छेद 17]

2. धारा 142 (1) (क) के तहत निर्धारित एकमात्र पात्रता मानदंड यह है कि शिकायत प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा नियत समय में होनी चाहिए। शिकायत के प्रारूप से यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज कराई है। एक प्रारूप हो सकता है जिसमें पहले कंपनी के नाम का वर्णन किया जाता है, प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा किया जाता है, लेकिन केवल इसलिए एक मौलिक दोष नहीं हो सकता है क्योंकि प्रबंध निदेशक का नाम पहले कंपनी में स्थित पद के बाद बताया गया है। [अनुच्छेद 18,22]

त्रियम्बक एस हेगड़े बनाम श्रीपद **आपराधिक अपील संख्या 849-850/2011 पर 23.09.2021 को निर्णय लिया गया;** एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद **(1998) 1 एससीसी 687: [1997] 6 सप्ल एससीआर 500;** एम.एम.टी.सी लिमिटेड और एक अन्य बनाम मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड और एक अन्य **(2002) 1 एससीसी 234: [2001] 5 सप्ल एससीआर 265;** क्रेडेंशियल फाइनेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1998) 3 एमएचएलजे 805 - संदर्भित।**

3. शिकायत के साथ बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रति दायर की गई थी। कंपनी द्वारा विचारण न्यायालयमें एक हलफनामा दर्ज किया गया था, जिसमें प्रबंध निदेशक के पक्ष में प्राधिकरण के तथ्य की पुष्टि की गई थी। एक प्रबंधक या एक प्रबंध निदेशक को सामान्य रूप से उसी नाम से कंपनी के दैनिक प्रबंधन के लिए कंपनी के मामलों का प्रभारी व्यक्ति माना जा सकता है और गतिविधि में मुकदमा शुरू करने के लिए सिविल कानून या आपराधिक कानून के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कार्य होगा। केवल इसलिए शिकायत को खारिज करना बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण के बारे में विस्तार से नहीं बताता है। कंपनी के कृत्रिम व्यक्ति को एक व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से कार्य करना होता था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल होते थे। केवल प्राधिकरण के अस्तित्व को सत्यापित किया जा सकता था। [अनुच्छेद 23]

4. वर्तमान मामले में प्राधिकरण, एक प्रति थी और इस प्रकार, बोर्ड के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बोर्ड बैठक के मिनटों का हिस्सा होगा और प्राधिकरण की वास्तविक प्रति नहीं होगी। संकल्प की प्रमाणित प्रति के रूप में प्राधिकरण में कहा गया है कि कंपनी के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा जारी किए गए चेक के अनादरण के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी है। इस आशय के लिए, अपीलार्थी को अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने, अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी करने, शिकायत दर्ज करने, शपथ पर सत्यापन करने, न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए संविधान अधिवक्ता नियुक्त करने और ऐसे सभी मामलों में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया था जिनकी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार, गवाही देने के लिए प्राधिकरण की कमी के बारे में नीचे दिए गए न्यायालयों का निष्कर्ष भी अमान्य हो जाता है। [अनुच्छेद 24,25]

5. शिकायत को ठीक से स्थापित किया गया था और प्रत्यर्थी यह खुलासा करने में विफल रहा कि उसने एक प्राप्तकर्ता से उत्पन्न वित्तीय दायित्व को क्यों पूरा नहीं किया, जो नियत समय में चेक का धारक है। शिकायत जुलाई, 2006 में दर्ज की गई थी। तब से पंद्रह साल बीत चुके हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्धारित सजा एक अवधि के लिए कारावास है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों

के साथ। दिए गए परिदृश्य में प्रत्यर्थीको एक वर्ष की कैद और चेक की राशि का दोगुना यानी 3,20,000/- रुपये जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि, समय बीतने के मद्देनजर, यदि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को 1,60,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है, तो सजा निलंबित हो जाएगी। [अनुच्छेद 28,29]

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[1997] 6 पूरक एस.सी.आर. 500	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 19**
[2001] 5 अतिरिक्त। एस.सी.आर. 265	**को निर्दिष्ट**	**अनुच्छेद 20**
(1998) 3 एम.एच.एल.जे. 805	**को निर्दिष्ट**	**अनुच्छेद 23**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 1105/2021

2009 की आपराधिक अपील संख्या 805 में बंबई उच्च न्यायालय के दिनांक 03.08.2015 के निर्णय और आदेश से।

प्रताप सिंह परमार, कुलदीप सिंह कुचलिया, मो. आरिफ, अजय पाल, अपीलकर्ता के अभिवक्ता।

वी. के. सिद्धार्थन, सम्राट कृष्णराव शिंदे, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए पांडे, जियो जोसेफ, प्रत्यर्थी के अभिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति ।

1. दयाशंकर चौरसिया, प्रत्यर्थी ने मैसर्स बेल मार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड (संक्षेप में 'कंपनी') के पक्ष में 20,000/- रुपये के आठ (8) चेक जारी किए, जो कुल 1,60,000/- रुपये थे। चेक एचडीएफसी बैंक, वसई (ई) शाखा, मुंबई में जारी किए गए थे। ये चेक अलग-अलग तारीखों पर तैयार किए गए थे, लेकिन 10.05.2006 को भुगतान के लिए एक साथ प्रस्तुत किए गए थे। 12.05.2006 को जारी बैंक मेमो के अनुसार सभी चेक "अपर्याप्त धनराशि" के कारण अनादरित हो गए। चेक अनादरित होने पर, लाभार्थी द्वारा 26.05.2006 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'परक्राम्य लिखत अधिनियम' के रूप में

संदर्भित) की धारा 138 (ख) के तहत कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। हालाँकि, नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर मांग को पूरा नहीं किया गया था और न ही कोई जवाब भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप श्री भुपेश राठौड़ द्वारा विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई के समक्ष 07.07.2006 को शिकायत संख्या 160/एसएस/07 दर्ज की गई थी। शिकायत के साथ कंपनी का बोर्ड संकल्प दिनांक 17.05.2006 था जिसमें श्री भुपेश राठौड़ को कंपनी की ओर से प्रत्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। 24.12.2007 को, कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक, यानी, श्री भूपेश राठौड़ के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उसने उपर्युक्त बोर्ड संकल्प के माध्यम से उन्हें प्रत्यर्थीके खिलाफ शिकायत मामला दर्ज करने के लिए अधिकृत किया था।

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता के विवरण के तरीके पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हम शिकायतकर्ता का विवरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत करते हैं:

"श्री भूपेश एम. राठौड़,

मैसर्स बेलमार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड

के प्रबंध निदेशक

आयु: 41 वर्ष, व्यवसायः व्यवसाय

पता 1107, वी मेकर चैंबर, नरीमन

पॉइंट मुंबई- 400021 है।"

3. 17.05.2006 को पारित बोर्ड संकल्प निम्नलिखित शर्तों में है:

"यह निर्णय लिया गया है कि दयाशंकर प्रसाद चौरसिया के खिलाफ उनके द्वारा जारी किए गए मुख्यालयों का अनादर करने और कंपनी को इस देनदारियों के निर्वहन के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और श्री भुपेश राठौड़/ससिकांत गनेकर को अधिवक्ता नियुक्त करने, अधिवक्ता के

माध्यम से नोटिस जारी करने, शिकायत दर्ज करने, शपथ पर सत्यापन, न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए संविधान अधिवक्ता नियुक्त करने और ऐसे सभी मामलों में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाता है जिनकी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में आवश्यकता हो सकती है।''

बेलमार्शल टेलीसिस्टम्स लिमिटेड के लिए

दिनांक: 17/05/2006 हस्ताक्षर

निदेशक"

4. हम उपरोक्त को पुनः प्रस्तुत करते हैं क्योंकि शिकायत दर्ज करने की योग्यता और तरीका हमारे सामने बहस किए जाने वाले प्राथमिक विचार हैं।

5. शिकायत में यह मामला सामने आया है कि कंपनी द्वारा प्रत्यर्थीको रु.1,60,000/- की राशि अग्रिम दी गई थी और ऋण चुकाने के लिए चेक जारी किए गए थे। प्रत्यर्थी ने आपत्ति जताई कि शिकायत श्री भुपेश राठौड़ की व्यक्तिगत क्षमता में दर्ज की गई थी न कि कंपनी की ओर से। जबकि दूसरी ओर अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि शिकायत कंपनी के नाम पर थी और शिकायत के कारण शीर्षक में उसने खुद को प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया था। यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी थी। हालाँकि, पंजीकरण प्रमाणपत्र रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। इस पहलू पर, प्रत्यर्थीका यह भी कहना था कि केवल उपरोक्त शीर्षक विवरण में शिकायतकर्ता को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन शिकायत के मुख्य भाग में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

6. विचारण न्यायालय ने 12.03.2009 को प्रत्यर्थीको दोहरे तर्क के आधार पर बरी कर दिया –

(क) प्रत्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित वचन पत्र के अलावा कोई दस्तावेज नहीं था, यह दिखाने के लिए कि ऋण दिया जा रहा था; और

(ख) बोर्ड के प्रस्ताव पर स्वयं निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे (यह कहा जा सकता है कि यह वास्तव में बोर्ड के प्रस्ताव की सही प्रति थी)।

7. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.08.2015 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

8. यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय कई रास्ते पार किए। संक्षेप में तर्क यह थाः

(क) यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 (क) के तहत अनिवार्य रूप से देय समय में एक प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा दायर की गई थी;

(ख) प्राप्तकर्ता कंपनी थी और शिकायत के अवलोकन से यह नहीं पता चला कि शिकायत कंपनी द्वारा दायर की गई थी। यह अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था जिसने केवल शिकायत के कारण शीर्षक में खुद को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया था;

(ग) संभवतः कंपनी के नाम पर शिकायत दर्ज नहीं करने का एक सचेत विकल्प बनाया गया था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि कंपनी ऋण अग्रिम करने के लिए अधिकृत थी या नहीं।

9. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालयके पूरे तर्क को अपनी प्रमुखता नहीं दी क्योंकि उसने देखा कि मांग नोटिस कंपनी की ओर से भेजा गया था। इस प्रकार, कंपनी को पता था कि शिकायत कंपनी द्वारा ही दर्ज की जानी है। यह देखा गया कि कंपनी द्वारा उपरोक्त पहलू को संभवतः उद्देश्य से अस्पष्ट छोड़ दिया गया था और इसलिए, यह राय दी गई थी कि शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के संदर्भ में प्राप्तकर्ता द्वारा दायर नहीं की गई थी।

<u>शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता की दलीलें:</u>

10. अपीलार्थी ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि शिकायत के कारण शीर्षक से यह काफी स्पष्ट था, जो शिकायत का एक अभिन्न अंग है, कि यह कंपनी की ओर से दायर किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया

कि यही कारण था कि प्रबंध निदेशक को चेकों के अपमान के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड प्रस्ताव को संलग्न किया गया था। दिया गया पता कंपनी का था, जो पंजीकृत कार्यालय का पता था। इसके अनुसरण में प्रतिपरीक्षा में दायर हलफनामे में कोई संदेह नहीं छोड़ा गया कि शिकायत कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में दायर की गई थी।

11. अपीलार्थी का कहना है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 और 118 के अधीन एक अनुमान है जिसका प्रत्यर्थी द्वारा खंडन नहीं किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि विधिवत हस्ताक्षरित चेक प्रत्यर्थीके खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था, जैसा कि ***त्रियंबक एस. हेगड़े बनाम श्रीपाद***[1] में हुआ था। बचाव में प्रत्यर्थी का यह कहना नहीं था कि चेक पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे या किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के तहत हस्ताक्षर किए गए थे।

12. यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले का एक बहुत ही अति तकनीकी दृष्टिकोण लिया गया था और यह केवल शिकायत दर्ज करने के प्रारूप से संबंधित था, न कि पदार्थ से। विचारण न्यायालय ने खुद स्वीकार किया था कि शिकायत कंपनी की ओर से दायर की गई थी क्योंकि अन्यथा वह परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 (क) के तहत संज्ञान लेने से इनकार कर देती। प्रत्यर्थी ने समन आदेश को इस आधार पर चुनौती भी नहीं दी थी कि शिकायत कंपनी की ओर से दायर नहीं की गई है।

<u>प्रत्यर्थी की दलीलें:</u>

13. हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था और शिकायत स्वयं उचित रूप में नहीं थी। शिकायत और बोर्ड के प्रस्ताव से यह निष्कर्ष नहीं निकला कि यह कंपनी की ओर से दायर की गई थी। बोर्ड के प्रस्ताव पर कंपनी के निदेशकों द्वारा भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और न ही यह पाया गया कि यह शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत करता है।

14. प्रत्यर्थी ने यह भी तर्क दिया कि कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया था और न ही यह साबित किया गया है कि कथित ऋण किसके खाते में दिया गया था। कंपनी के पक्ष में कोई ऋण समझौता रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

<u>हमारा दृष्टिकोण:</u>

15. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों की जांच की है।

16. विवाद का निर्णय करने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ निम्नानुसार निकाली गई हैं:

"138. खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर - जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य देनदारी के संपूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते में खींचा गया कोई चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान किए लौटाया जाता है, या तो इस कारण कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला समझा जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास [एक अवधि जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है], या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो चेक की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों के साथः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि –

(क) चेक को उसके निकाले जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत किया गया है;

(ख) चेक प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, एक नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; चेक जारी करने वाले को लिखित रूप में, चेक को अवैतनिक रूप में वापस करने के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर]; और

(ग) ऐसे चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, चेक के नियत समय में, प्राप्तकर्ता को या, यथास्थिति, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

"139. धारक के पक्ष में अनुमान। - यह उपधारणा की जाएगी, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए कि किसी चेक के धारक ने किसी ऋण या अन्य देनदारी के संपूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त किया है।

....

"118. परक्राम्य लिखत अधिनियम, के बारे में अनुमान - जब तक विपरीत सिद्ध न हो जाए, निम्नलिखित धारणाएँ बनाई जाएँगी:-

(छ) वह धारक नियत समय में धारक है: - कि एक परक्राम्य लिखत का धारक नियत समय में धारक होता है : बशर्ते कि, जहां लिखत अपने वैध स्वामी से, या उसकी वैध अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से, किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है, या उसके निर्माता या स्वीकारकर्ता से किसी अपराध या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई है, या गैरकानूनी रूप से विचार के लिए, यह साबित करने का भार उस पर है कि धारक नियत समय में धारक है।

....

"142. अपराधों का संज्ञान - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी –

(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय चेक के भुगतानकर्ता या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा की गई लिखित शिकायत पर;

(ख) ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर की जाती है:

[बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था;]

(ग) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

17. हमें शुरुआत में ही कहना चाहिए कि प्रत्यर्थी ने चेक पर अपने हस्ताक्षरों पर विवाद नहीं किया है, यह प्रत्यर्थीको दिखाना था कि चेक किन परिस्थितियों में जारी किए गए थे, यानी, यह चेक उचित समय पर जारी क्यों नहीं किया गया था। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि चेक के धारक ने किसी ऋण या अन्य देनदारी के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त किया है। प्रत्यर्थी ने यह मामला स्थापित नहीं किया है कि लेन-देन की प्रकृति ऐसी थी जो धारा 138 के दायरे से बाहर थी। तकनीकी आपत्ति लेने के अलावा, वास्तव में मूल पहलू पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

18. धारा 142 (1) (क) के तहत निर्धारित एकमात्र पात्रता मानदंड यह है कि शिकायत प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा नियत समय में होनी चाहिए।

19. उपरोक्त सिद्धांतों के संदर्भ में हमें प्रत्यर्थी की याचिका पर विचार करना होगा कि शिकायत सक्षम शिकायतकर्ता द्वारा दायर नहीं की गई थी क्योंकि यह मामला है कि ऋण कंपनी द्वारा अग्रिम किया गया था। शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखने वाली निगमित संस्था के संबंध में शासी सिद्धांत क्या होंगे, इस बारे में ***एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद***[2] में इस न्यायालय के निर्णय में स्पष्टीकरण पाया जा सकता है। यदि कंपनी के नाम पर कोई शिकायत की गई थी, तो यह आवश्यक है कि एक स्वाभाविक व्यक्ति न्यायालय में ऐसे न्यायिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करे और न्यायालय सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक व्यक्ति को देखता है। यह इस संदर्भ में है कि टिप्पणियाँ की गईं कि कॉर्पोरेट निकाय एक *कानूनी शिकायतकर्ता* है, जबकि इंसान अदालती कार्यवाही में पूर्व का प्रतिनिधित्व

करने के लिए एक *वास्तविक शिकायतकर्ता* है। इस प्रकार, कोई भी मजिस्ट्रेट इस बात पर जोर नहीं दे सकता था कि जिस व्यक्ति का बयान अकेले शपथ पर लिया गया था, वह कार्यवाही के अंत तक कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जारी रख सकता है। इतना ही नहीं, भले ही शुरू में कोई अधिकार न हो, कंपनी किसी भी स्तर पर किसी सक्षम व्यक्ति को भेजकर उस दोष को दूर कर सकती है।

20. उपरोक्त निर्णय को **एमएमटीसी लिमिटेड और एक अन्य बनाम मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड और अन्य**[3] में इस न्यायालय के बाद के फैसले में भी ध्यान में रखा गया था।

21. हमने पाया है कि उपरोक्त उद्धृत न्यायिक उदाहरणों का नीचे के न्यायालयों द्वारा उल्लंघन किया गया है उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की पहचान की अस्पष्टता और कंपनी द्वारा दिए जाने वाले ऋण की वैधता के साथ इसके संबंध पर भी चर्चा शुरू की, जिसमें जाने की आवश्यकता नहीं थी।

22. यदि हम शिकायत के प्रारूप को देखें जो हमने ऊपर निकाला है, तो यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज की है। एक प्रारूप हो सकता है जिसमें पहले कंपनी के नाम का वर्णन किया जाता है, प्रबंध निदेशक के माध्यम से मुकदमा किया जाता है, लेकिन केवल इसलिए एक मौलिक दोष नहीं हो सकता है क्योंकि प्रबंध निदेशक का नाम पहले कंपनी में स्थित पद के बाद बताया गया है।

23. यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि शिकायत के साथ बोर्ड संकल्प की एक प्रति दायर की गई थी। कंपनी द्वारा विचारण न्यायालयमें एक हलफनामा दर्ज किया गया था, जिसमें प्रबंध निदेशक के पक्ष में प्राधिकरण के तथ्य की पुष्टि की गई थी। एक प्रबंधक या एक प्रबंध निदेशक को सामान्य रूप से उसी नाम से कंपनी के दैनिक प्रबंधन के लिए उसके प्रभारी व्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है और गतिविधि में मुकदमा शुरू करने के लिए सिविल कानून या आपराधिक कानून के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कार्य होगा।[4] केवल इसलिए शिकायत को खारिज करना बहुत तकनीकी दृष्टिकोण होगा क्योंकि शिकायत का मुख्य भाग प्राधिकरण के बारे में विस्तार से नहीं बताता है। कृत्रिम व्यक्ति होने के

कारण कंपनी को एक व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से कार्य करना पड़ता था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक शामिल होते थे। केवल प्राधिकरण के अस्तित्व को सत्यापित किया जा सकता है।

24. जबकि हम वर्तमान मामले में प्राधिकरण की ओर रुख करते हैं, यह एक प्रति थी और इस प्रकार, बोर्ड के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का एक हिस्सा होगा और प्राधिकरण की सही प्रति नहीं होगी। हम यह भी महसूस करते हैं कि यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रबंध निदेशक अधिकृत नहीं थे। यदि हम प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति के रूप में प्राधिकरण का अवलोकन करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि कंपनी को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए चेक का अनादर करने के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय के लिए, श्री भुपेश राठौड़/ससिकांत गनेकर को अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने, अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी करने, शिकायत दर्ज करने, शपथ पर सत्यापन करने, न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के लिए संविधान अधिवक्ता नियुक्त करने और ऐसे सभी मामलों में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया था जिनकी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया में आवश्यकता हो सकती है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है?

25. इस प्रकार, गवाही देने के लिए प्राधिकरण की कमी के बारे में नीचे दिए गए न्यायालयों का निष्कर्ष भी अमान्य हो जाता है।

26. शिकायतकर्ता का विवरण उसके पूरे पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ शुरुआत में ही दिया गया है, सिवाय इसके कि कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए प्रबंध निदेशक का नाम पहले आता है। मुकदमे के दौरान उसी के संबंध में हलफनामा और प्रतिपरीक्षा इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि शिकायत कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक द्वारा दायर की गई थी। इस प्रकार, प्रारूप को ही दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, हालांकि यह सही नहीं हो सकता है। बोर्ड संकल्प की प्रति के साथ शुरुआत में जो कुछ निर्धारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए शिकायत के मुख्य भाग में कुछ और शामिल करने की

आवश्यकता नहीं है। यदि कंपनी की ओर से अपीलकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, तो बोर्ड संकल्प की एक प्रति संलग्न करने का कोई कारण नहीं है।

27. हमारे विचार में, सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह है कि चेक पर हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया गया था। न ही किसी वैकल्पिक कहानी के जरिए यह बताया गया कि विधिवत हस्ताक्षरित चेक कंपनी को क्यों सौंपे गए। किसी धोखाधड़ी या गलतबयानी की कोई दलील नहीं थी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, प्रत्यर्थी ने केवल अपने दायित्व से बचने के लिए शिकायत के प्रारूप से उत्पन्न एक तकनीकी दलील लेने की मांग की। ऋण समझौते को अलग से निष्पादित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लेनदेन की कोई वैकल्पिक प्रकृति कभी नहीं बताई गई थी।

<u>निष्कर्ष:</u>

28. इस प्रकार, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालयऔर उच्च न्यायालय के दोनों आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें अलग रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, निष्कर्ष यह निकला कि शिकायत ठीक से स्थापित की गई थी और प्रत्यर्थी यह खुलासा करने में विफल रहा कि उसने भुगतानकर्ता, जो कि चेक का धारक है, से उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारी को उचित समय पर पूरा क्यों नहीं किया।

29. अब हम इस बात की ओर मुड़ते हैं कि उपरोक्त निष्कर्ष का परिणाम क्या होगा। शिकायत जुलाई, 2006 में दर्ज की गई थी। तब से पंद्रह (15) साल बीत चुके हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत ऐसे अपराध के लिए निर्धारित सजा कारावास है जो दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने के साथ जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकती है, या दोनों के साथ। हमारा विचार है कि दिए गए परिदृश्य में प्रत्यर्थी को एक वर्ष की कैद और चेक की राशि का दोगुना यानी 3,20,000/- रुपये जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए। हालाँकि, समय बीतने के मद्देनजर, हम यह प्रावधान करते हैं कि यदि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता को 1,60,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है, तो सजा निलंबित कर दी जाएगी। प्रत्यर्थी

द्वारा आज से दो (2) महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। अपीलकर्ता लागत का भी हकदार होगा।

30. तदनुसार अपील की उपरोक्त शर्तों में अनुमति है।

देविका गुजराल अपील मंजूर की गई।

1. आपराधिक अपील संख्या 849-850/2011 पर 23.09.2021 को निर्णय लिया गया।
2. (1998) 1 एससीसी 687।
3. (2002) 1 एससीसी 234।
4. क्रेडेंशियल फाइनेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 1998(3) एमएच.एल.जे. 805.

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।